the question? Unless we develop these cow-herds and buffaloes, we will not be able to supply sufficient quantity of milk to the town people. Can the Minister reply on this point or not?

श्री भजन लाल : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है । जब तक पशुओं की नस्ल सुधारने का काम तेजी से नही चलेगा तब तक दूध का उत्पादन ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा इसके लिए हमारी सरकार ने बहुत अच्छे प्रोग्राम बनाए हैं । पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए हम करोड़ों रुपये खर्च करने जा रहे हैं । आपरेशन फ्लड-तीन में ज्यादा दूध पैदा करने के लिए सरकार 915 करोड़ रुपये खर्च करेगी ताकि ज्यादा से ज्यादा दूध उपलब्ध कराया जा सके और पशुओं की नस्ल के सुधार में खास तौर से वृद्धि की जा सके । इसके लिए प्रोग्राम बनाए हैं मैं आपको बताना चाहता हूं कि सन् 1950–51 में । (व्यवधान)

श्री सभापति : इतिहास मत बताइये आप अपना जवाब संक्षेप में दीजिये ।

श्री भजन लाल : दूध का उत्पादन 460 लाख टन हो गया है लेकिन तीन साल तक सूखा पड़ने के बावजूद (व्यवधान)

श्री सभापति : यह बात आप दस बार कह चुके है । अब बैठ जाइये ।

SHRI JAGESH DESAI: Mr. Chairman, Sir, the hon. Minister has stated that the supply of milk is less than the demand. For that purpose you have to streamline your distribution system. The Minister has stated that for hotels they have to stop the supply. But has the Minister taken care to see that from the booths the milk instead of being given to the consumers is not passed on to the hoteliers as they keep ten to fifteen people in the queue and draw as much milk as they want.

MR. CHAIRMAN: Mr. Desai, you put your question.

SHRI JAGESH DESAI: Sir, I would like to know what action the Government is going to take to see that the milk intended for the consumers is not passed on to the hoteliers and bulk consumers. I would also like to know whether the Government is thinking of issuing milk cards so that on the production of those cards only milk will be supplied, in order to ensure that only the real consumers get the milk. What scheme has the Government in this regard?

श्री भजन लाल : सभापति महोदय, कोशिश तो हमारी यही होती है कि सही उपभोक्ता को दूध मिले जरूरत वाले को मिले । कहीं से कोई शिकायत इनके पास आई हो कि गलत आदमी दूध ले गया तो हमें लिख कर के माननीय सदस्य भेज दें हम कार्यवाही करायेंगे लेकिन यह जो जनरल बात है यह नहीं (व्यवधान)

SHRI JAGESH DESAI: They have to streamline the distribution system.

MR. CHAIRMAN: He is trying to do it. (*Interruptions*).

SHRI JAGESH DESAI: But they must have some system.

MR. CHAIRMAN: Next question, Q. No. 82.

Consumer Protection Councils in the States

*82. DR. RATNAKAR PANDEY: Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) the names of the States which have not so far set up State level Consumer Protection Councils;

(b) whether the Central Government have issued any directions/ guidelines to the States in this regard and if so, the details thereof; and

(c) whether the Central Government have any machinery to look into the functioning of these Councils?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI SUKH RAM): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

As per information available, so far 20 States|UTs have set up Consumer Protection Councils under the Consumer Protection Act, 1986. The States of Haryana, Himachal Pradesh, Karnataka, Kerala, Manipur, Meghalaya, Orissa, Punjab, Tripura and Union Territories of Dadar and Nagar Haveli, Daman and Diu have not set up Consumer Protection Councils. The Central Government has repeatedly urged the States and UTs to set up the statutory institutions envisaged in the Act. For this purpose, guidelines and model rules were given to the States and UTs.

To ensure uniformity in the composition and functioning of the Consumer Protection Councils in States and UTs, the Central Government has indicated certain broad parameters. According to these guidelines, the Councils should be constituted under the Chairmanship of Chief Minister or Minister, in charge of Food and Civil Supplies. These Councils should have both official and non-official members in which non-official members representing interests of the consumers, trade and industry, women and youth should be given adequate representation. These Councils should meet as and when necessary but at least three meetings should be held every year.

The Consumer Protection Councils are advisory bodies which shall promote and protect the rights of the consumers. The Central Government gets the feed-back information and co-ordinates the functioning of these Councils.

डा. रत्नाकर पाण्डेय : सभापति महोदय, मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उससे स्पष्ट है कि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, मेघालय उड़ीसा, पंजाब, त्रिपुरा राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र दादरा एवं नगर हवेली, दमण व दीव ने उपभोक्ता संरक्षण परिषदों का गठन नहीं किया है जब कि बार-बार केन्द्रीय सरकार ने राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों को अनुरोध किया है और उनको सारे दिशा निर्देश, सिद्धान्त के नमूने भी भेज दिये हैं । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कोई टाइम बाऊंड निर्देश, डायरेशन इनको नहीं देना चाहती? मेरे प्रश्न का भाग बी यह है कि क्या उपभोक्ताओं को वस्तुएं आसानी से मिलें और मिलावट रहित मिलें तथा उचित दाम पर मिलें इसके लिए क्या भारत सरकार ने नेशनल कमीशन आफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन का गठन करने पर विचार किया है, या उसका गठन कर दिया है ? यदि कर दिया है, तो कमीशन के चेयरमैन और सदस्यों के नाम क्या हैं और कमीशन कब तक अपना काम शुरू कर देगा और कमीशन का कार्यक्षेत्र क्या होगा ?

श्री सुख राम : सभापति जी, हमने बार-बार प्रांतीय सरकारों को लिखा है कि वह इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन कौंसिल का गठन जल्दी से जल्दी करें और इसके बारे में अभी कल ही जो नेशनल कंज्यूमर प्रोटैक्शन कौंसिल की मीटिंग हुई थी, उसमें भी सारे जो सिविल सप्लाईज के मिनिस्टर स्टेट्स से आए हुए थे, उनसे भी कहा गया कि वह जल्दी से उसका गठन करें । उन्होंने विश्वास दिलाया है कि वह जल्दी से जल्दी गठन करेंगे । अब इस विषय में हमने उनको टाईमबाउंड लिखा है—यह नहीं कि फलां टाईम तक हो जाना चाहिए, मगर मुझे उम्मीद है कि कल जैसा उन्होंने आश्वासन दिया है, उसका गठन बहुत जल्दी होगा ।

जहां तक नेशनल कमीशन का ताल्लुक है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के रेटायर्ड जज का नोटिफिकेशन हो गया है और

इसमें चार और सदस्यों का नामिनेशन होना है । मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी उसका गठन हो जाएगा और जहां तक इसके कार्यक्षेत्र का ताल्लुक है, इसमें नेशनल कमीशन के पास वह शिकायतें जिसमें कि दस लाख से ऊपर की जो भी शिकायत होगी, वह नेशनल कमीशन के पास जाएगी । तो इसका यह कार्यक्षेत्र है ।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : सभापति जी, देश की अधिकांश जनता तथा उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों की सुरक्षा कैसे की जाए, इसके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है । क्या भारत सरकार अपने प्रचार माध्यम से रेडियो, टी. वी., समाचार-पत्र और अन्य जो माध्यम हो सकते हैं, उनके द्वारा उभोक्ताओं को इस सन्दर्भ में जानकारी देने की कोई योजना बना रही है ? यदि बना रही है, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्री सुख राम : सभापति जी, जहां तक इस कानून का ताल्लुक है, यह माना गया है कि जो कि इंटरनेशनल डेली बुलेटिंस इसमें जो आज तक छप रहा है, संसार में सब से बड़ा कानून उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए है और इसके लिए जो मीडिया का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, जैसे टी. वी. और ए. आई. आर. के जरिए, जैसे दूरदर्शन में एक टेलीकास्ट होता है फोर्टनाइट्ली प्रोग्राम "संरक्षण उपभोक्ता का" और दूसरी एक वीडियो क्विकी आन कंज्यूमर बनी है । उसके साथ-साथ सांग एंड ड्रामा डिविजन में एक ड्रामा तैयार किया जा रहा है जो उपभोक्ताओं की शिक्षा के लिए बड़ा सहायक होगा और इसी तरह से कुछ ब्रोशर्ज पब्लिश हुए हैं, जिसमें 'Help to prevent adulteration', 'Shopping of packaged commodities'; and a book entitled 'Poison in our food' have been released.

यह कुछ ऐसे काम हुए हैं। मगर उसके साथ-साथ हमने कोशिश की है कि हमारे पास जो वालंटरी आर्गेनाइजेशंस हैं सारी कण्ट्री में, वह तकरीबन 280 से ज्यादा हैं, कुछ तो बहुत अच्छी वालंटरी आर्गेनाइजेशंस है। उनको हमने प्रतिनिधित्व दिया हुआ है, जोकि कंज्यूमर प्रोटैक्शन कौंसिल स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर बनी है, कहीं स्टेट्स में बनी है, कहीं नहीं बनी है। वह बतायेंगे जैसा कि मैंने कहा है। सो उसमें हमने उनको प्रतिनिधित्व दिया हुआ है और इसके साथ-साथ हमने कुछ अवार्ड रखे हैं, जो नौजवान इस क्षेत्र में काम करे या नेशनल लेवल पर बहुत ज्यादा उनका कार्यक्रम होगा, उनके लिए अवार्ड रखे हैं। महोदय, इसमें मैं यह सोच रहा हूं कि हम री जो वालंटरी आर्गेनाइजेशंस हैं, जहां तक उनको फाइनेंस करने का ताल्लुक है, वह तो स्टेट गवर्नमेंट करती हैं, लेकिन नेशनल लैवल पर वालंटरी आर्गेनाइजेशंस के लिए हम ऐवार्ड की स्कीम बना रहे हैं ताकि वे अच्छा काम करें और ग्रास रूट लेवल से हमको फीड बैक मिल सके। इसका हम प्रचार कर रहे हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : माननीय मंत्री जी यह जानते हैं कि हिन्दुस्तान के 76 प्रतिशत लोग गांवों में रहते है। इस संबंध में मेरे प्रश्न के दो जुज हैं। क्या राज्यों में उपभोक्ता संरक्षण परिषदें आप जिला स्तर पर बनाने जा रहे हैं और दूसरे जैसा मैंने बताया कि 76 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं, तो कई कई किलोमीटर तक उपभोक्ता गांवों से सामान लेने के लिए जाते हैं और दुकानों पर भी शिकायतें रहती हैं कि वे पूरा माल नहीं रखते। तो इसके ऊपर क्या आप विचार कर रहे हैं कि गांव वालों को किस प्रकार से प्रतिनिधित्व इनमें मिल सकेगा ?

श्री सुख राम : जिला स्तर पर तो संरक्षण परिषदों का प्रावधान नहीं है मगर राज्य स्तर पर है। इसमें जहां तक गांवों का सवाल है, मैंने अभी कहा कि यह एक मूवमेंट है, इसको महज शहरों और बड़े बड़े सिटीज तक ही सीमित नहीं रहना है, बल्कि गांवों तक फैलाना है। उसके लिए गांवों के भी बहुत से लोगों को प्रतिनिधित्व मिला है, महिलाओं को, नवयुवकों को जो कि उपभोक्ताओं

से ताल्लुक रखते हैं। मगर यह ऐक्ट 1986 में ही पास हुआ यह बहुत बड़ा काम है, हम सबको कोशिश करनी है कि इसका ज्ञान हम गांवों के लोगों को भी दें और इसके लिए सारी मशीनरी सेट अप हो जाए तो इसका बहुत जल्दी असर होगा।

माननीय चेयरमैन साहब, मैं यह भी बता दूं कि अभी मुझे परसों ही फीड बक मिला है कि बिहार में एक रिड्रेसल मशीनरी स्टेट लेवल पर स्थापित की गई है। मुझे बताया गया है कि एक जो गाड़ी ली थी उसका इंजिन खराब था, उसके लिए उन्होंने कंज्यूमर काउंसिल को लिखा और जिस दिन उन्होंने वहां काउंसिल के सामने पेश होना था, उससे पहले ही इंजिन नया उनकी पूरी सेटिस्फैक्शन से लगा दिया गया। अभी तीन चार फीड बैक हमको मिले हैं, मैं समझता हूं कि जब जिला स्तर पर, स्टेट स्तर पर और नेशनल लेवल पर हमारी मशीनरी स्थापित हो जाएंगी तो उपभोक्ताओं को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। इसलिए हमको लोगों को इस बारे में पूरा ज्ञान देना है ताकि वे लोग आगे आएं और इसका लाभ उठाएं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : जिला स्तर पर भी आप शुरू करा दीजिए।

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, the hon. Minister has said that the Consumer Protection Council has not been constituted even at the national level. It is only an advisory body according to the reply given by the hon. Minister. Sir, when the relevant legislation in this regard was brought forward before the House, it was mentioned that when a businessman does something, whether he indulges in adulteration or he charges higher prices, a petition can be presented to the Council and the Council can impose a penalty on him. I would like to know whether such powers have been given to the Council for the purpose of protecting the interests of the consumers.

SHRI SUKH RAM: Hon. Member is confusing between Consumer Protection Council and National Commission. I never said that Consumer Protection Council has not been constituted at the national level. It has been constituted and including yesterday's meeting two meetings have already taken place. As far as National Commission is concerned, as I said earlier, the process is on and in due course of time, very shortly, this also will be constituted and all the complaints involving the damages of more than Rs. 10 lakh will come before this Commission.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : माननीय सभापति जी, मंत्री जी के उत्तर के अनुसार अब तक 20 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने उपभोक्ता अधिनियम, 1986 के तहत उपभोक्ता संरक्षण परिषदें गठित कर ली हैं और जो दिशा-निर्देश दिए गए थे इनमें इस बात का भी प्रावधान था कि इन परिषदों में महिलाओं तथा युवाओं को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन 20 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में अभी तक उपभोक्ता संरक्षण परिषदों का गठन कर दिया गया है उन परिषदों के सदस्यों में महिलाओं और युवाओं के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले गैर सरकारी सदस्यों का प्रतिनिधित्व कितने प्रतिशत है?

श्री सुख राम : चेयरमैन महोदय, हमारी गाइडलाइन्ज में स्टेट्स में कम से कम 100 मेंबर का काउंसिल बनना चाहिए और यूनियन टैरिटरी में 60 तक वह जाना चाहिए और उसमें हमने साफ लिखा है कि नवयुवक महिलाओं को और जो-जो भी कंज्यूमर प्रोटैक्शन से ताल्लुक रखते हैं उनको उसमें प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। उसमें किसी स्टेट गवर्नमेंट को हम से कोई एप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : मेरा प्रश्न यह था.... (**व्यवधान**)

श्री सुख राम : एक मिनट आप सुन लीजिए। ...(**व्यवधान**)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : मान्यवर, मेरा प्रश्न यह था कि जिन 20 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में ये परिषदें गठित कर दी गई हैं उनके जो टोटल मैम्बर्ज हैं उनमें युवाओं और महिलाओं का कितने प्रतिशत प्रतिनिधित्व है?

श्री सुख राम : मैं बता रहा हूं और अगर आप पेंशेंस रखते हैं तो आपको मालूम हो जाएगा। मैं यह कह रहा था कि उसमें हमने गाइडलाइन्स दी हैं कि इस-इस ग्रुप को यह प्रतिनिधित्व देना चाहिए लेकिन उसमें हमारी एप्रूवल की जरूरत नहीं है और इसलिए हमको वह लिस्ट नहीं आती और हम आपको यह नहीं बता सकते। लेकिन अगर आप अलग से प्रश्न करेंगे तो हम वहां से सूचना मंगवा करके बता सकते हैं कि कितना-कितना प्रतिनिधित्व दिया हुआ है।

श्री बेकल उत्साही : जनाब चेयरमैन साहब, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक सामाजिक संगठन है, जैसा कि मंत्री जी ने बताया अपने इंतजामिया के सिलसिले में कि खरीद-फरोख्त करने वालों के बीच एक खुशगवार रिश्ता कायम करने के लिए सरकारी मशीनरी के साथ-साथ सामाजिक संस्थाओं का योगदान भी जरूरी है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि सामाजिक संस्थाओं को उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए क्या प्रोत्साहन दिया जा रहा है, विशेषकर ग्रामीण इलाकों में? मुझे बाद में गांव की हालत देखकर कहना पड़ता है कि "भूखा है गांव अपने पुराने स्वभाव में, भूखा है गांव अपने पुराने स्वभाव में और शहर जल रहा है अभी मोल-भाव में, शहर जल रहा है अभी मोल-भाव में, अब मौसमों की प्यास बुझाने की राह में, कब तक रहेंगे उलझे सभी भेदभाव में।

†[شری بیکل اتساہی : جناب چیرمین صاحب - کنزیومر پروٹیکشن ایک سماجک سنگٹھن ہے - جیسا کہ منتری جی نے مجھے بتایا اپنی ازدھامیہ کے سلسلے میں کہ خرید و فروخت کرنے والوں کے بیچ ایک خوشگوار رشتہ قائم کرنے کیلئے سرکاری مشینری کے ساتھ ساتھ سماجک سنستھاؤں کا یوگدان بھی ضروری ہے- میں منتری جی سے جاننا چاہونگا- کہ سماجک سنستھاؤں کو اب بھوکتاؤں کے ہتوں کی رکشا کیلئے کیا پروتساہن دیا جا رہا ہے - خاصکر گرامین علاقوں میں - مجھے بعد میں گاؤں کی حالت دیکھکر کہنا پڑتا ہے - کہ

بھوکا ہے گاؤں اپنے پرانے سوبھاؤ میں -
بھوکا ہے گاؤں اپنے پرانے سوبھاؤ میں
اور شہر جل رہا ہے ابھی مول بھاؤ میں
شہر جل رہا ہے ابھی مول بھاؤ میں -
اب موسموں کی پیاس بجھانے کی راہ میں
کب تک رہینگے الجھے سبھی بھید بھاؤ میں -]

श्री सुख राम : सर, क्वश्चन क्या है यह मेरी समझ में नहीं आया।

श्री सभापति : बेकल उत्साही जी, आपका सवाल क्या है?

श्री बेकल उत्साही : मंत्री जी, क्षमा करें अगर शेर समझ में नहीं आया तो मेरा प्रश्न यह है कि सामाजिक संस्थाओं को आपने क्या प्रोत्साहन दिया है और विशेषकर गांवों के देहाती इलाकों में आपने क्या किया है?

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

†[شری بھکل اتساھی : مانیہ
جی - چاہا کریں اگر شہر سبھی
میں نہیں آیا تو میرا پوشن یہ ہے
کہ سامانجک سنستھاؤں کو آپنے کیا
پروتساہن دیا ہے - اور خاصکر گاؤں
کے دیہاتی علاقوں میں آپنے کیا
کیا ہے -]

श्री सुख राम : सर, मैंने पहले ही कहा था... (**व्यवधान**)...

डा० रत्नाकर पाण्डेय : जवाब न हो तो प्रश्नकर्त्ता ही जवाब लिखकर दे दें।

श्री सभापति : जवाब भी दे देंगे ?

डा. रत्नाकर पाण्डेय जी हां, आपका हुकुम हो तो जवाब भी तैयार कर देंगे।

श्री सुख राम : मैंने पहले ही निवेदन किया था कि सामाजिक संस्थाएं या जो वोलेण्टीयर आर्गेनाइजेशन हैं, जो उपभोक्ताओं से ताल्लुक रखती हैं, उनके लिए अगर कोई मदद की बात है तो वह प्रांतीय सरकारों का काम है। जहां तक केन्द्र सरकार का ताल्लुक है, मैंने कहा कि हम इसमें एक योजना बना रहे हैं, जो कि नेशनल लेवल के ऊपर जो संस्थाएं हैं, वे कंपीट करेंगी उनको हम अवार्ड देंगे ताकि वे इस क्षेत्र में और अच्छा काम करें। तो मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य प्रांतीय सरकार के ऊपर इस बात का जोर डालें तो वे ज्यादा मदद कर सकते हैं।

SHRI SUNIL BASU RAY: Sir, the consumers suffer generally on three counts: non-availability of required quantity of commodities, the quality of the commodities and the high price. I would like to know whether the Council has made any recommendations to the Government on these counts and whether the Government has acted on them.

Secondly, I would like to know whether Government is considering associating Panchayats, municipalities and corporations with these bodies so that popular effort and popular enthusiasm can be associated with this movement. I have these two questions and I want the Minister to reply to these.

SHRI SUKH RAM: Sir, as I said earlier, the National Commission has yet to be constituted. Only the name of its President has been notified. And as and when this is constituted, it will start functioning. As far as the question of recommendations is concerned, this does not arise because whatever falls within the purview of the National Commission, they are competent to take action on that. So the question of making any recommendations to the Government does not arise.

MR. CHAIRMAN: Dr. Najma Heptulla.

SHRI SUNIL BASU RAY: You have stated that guidelines have been given to the States. What are these and what have these Councils to do?

SHRI SUKH RAM: The guidelines are about how these Councils have to be constituted at the State level and how the district forums have to be constituted at the district level. We have issued the guidelines that at the district level, for instance, there has to be either a serving or retired District Judge as the Chairman and one lady social worker and one person eminent in the field of education, trade or commerce. At the State level, there has to be either a serving or a retired High Court Judge and two other members of the

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

same qualifications as I have mentioned for the district level membership. Similarly at the national level also. These are the guidelines to the State Governments. And upto which age they can appoint. All this is contained in the guidelines.

SHRI SUNIL BASU RAY: How are you going to protect the consumers?

श्री सभापति: आप इधर उधर जवाब क्या देते हैं।

डा० (श्रीमती) नाजमा हेपतुल्ला: सर उन्होंने तीसरा सवाल पूछ लिया है।

श्री सभापति : आप उसको नोट कर रही हैं।

SHRI SUNIL BASU RAY: I have asked only one question. He has not replied. What can I do?

SHRI SUKH RAM: Whatever he has asked, I have replied.

DR. (SHRIMATI) NAJMA HEPTULLA: Sir, whatever I wanted to ask the Minister, he has asked in his three questions. Now I think the consumer is exhausted.

MR. CHAIRMAN: Question No. 83.

Funds for rural sanitation programme in Orissa

*83. KUMARI SUSHILA TIRIA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether funds are yet to be sanctioned to the Government of Orissa under the Centrally sponsored Rural Sanitation Programme for the year 1987-88; and

(b) if so, what were the reasons for delay in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI JANARDHAN POOJARI): (a) No, Sir. Funds admissible to Orissa as per the prescribed release procedure under the Centrally Sponsored Rural Sanitation Programme (CRSP) for the year 1987-88 have already been released.

(b) Does not arise.

KUMARI SUSHILA TIRIA: Sir, the hon. Minister has stated that the sanctioned funds under the centrally sponsored scheme have already been released. I would like to know from the hon. Minister how much funds have been released, what the demands made by the Orissa Government were and what amount of the released funds has been utilised for potable water supply, especially in the rural backward areas. What was the allocation during the last three years under the Centrally-Sponsored Rural Sanitation Programme?

SHRI JANARDHAN POOJARI: Sir, the Central Government released Rs. 37 lakhs in 1986-87 but the Orissa Government did not report about the expenditure. Also, in the year 1987-88 the Government of India released Rs. 23 lakhs and there also we did not receive any report regarding the expenditure. Sir, the Government of Orissa lost Rs. 23 lakhs because of non-performance. Not only the performance of Orissa, but the performance of other States also is not up to the expectation. So far as sanitation work is concerned, their performance is very poor.

KUMARI SUSHILA TIRIA: Sir, my second supplementary is this: The urban poor, due to their low paying capacity and also due to the peculiar conditions governing their settlement patterns, are generally deprived of adequate water and sanitation facilities. The high incidence of death and disease in the urban poor settlements can be attributed largely to the poor quality of water and sanitation facilities. In this connection I would like to know